न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2368-एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 23-5-2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 60/अपील/2008-09.

सियावर दास गौर आत्मज शंकर लाल गौर
निवासी ग्राम राजौरा कुर्मी
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद ....आवेदक

विरूद्ध

गंगाविशन आत्मज स्व. श्री लख्मीचंद गौर
निवासी ग्राम राजौरा कुर्मी
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद ....अनावेदक

श्री आई.पी. द्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 23-5-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार, सिवनी मालवा के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम राजोरा कुर्मी स्थित खसरा नम्बर 189 रकबा 0.55 एकड़, खसरा नम्बर 205 रकबा 4.32 एकड़, खसरा नम्बर 208 रकबा 1.80 एकड़, खसरा नम्बर 209 रकबा 0.69 एकड़, खसरा नम्बर 307 रकबा 0.06 एकड़ कुल रकबा 7.48 एकड़ एवं ग्राम राजोरा जाट स्थित खसरा नम्बर 16 रकबा 8.24 एकड़, व खसरा नम्बर 17 रकबा 4.20 एकड़ कुल रकबा 12.44 एकड़ भूमि के संबंध में वसीयतकर्ता सुन्दरबाई द्वारा दिनांक 11-1-2005 द्वारा उसके पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया है । अतः वसीयतकर्ता के स्थान पर प्रश्नाधीन भूमियों पर उसका नामांतरण किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ-6/2007-08 दर्ज कर दिनांक 31-5-2008 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक का नाम दर्ज किये

जाने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी मालवा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20-11-2008 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23-5-2013 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए तहसील न्यायालय को फौती नामांतरण एवं वसीयत के दोनों प्रकरणों को संलग्न कर हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिसंगत आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) स्व. रूगनाथ द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी कृषि भूमि का बटवारा अपने पुत्र मुल्लू और लख्मीचंद के मध्य कर दिया था, जिसके आधार पर मुल्लू और लख्मीचंद अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते रहे । मुल्लू के लाऔलाद फौत होने के उपरांत मुल्लू के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 0.06 एकड़, 189 रकबा 0.55 एकड़, खसरा नम्बर 205 रकबा 4.32 एकड़, खसरा नम्बर 208 रकबा 1.80 एकड़, खसरा नम्बर 209 रकबा 0.69 एकड़, खसरा नम्बर 307 रकबा 0.06 एकड़ कुल रकबा 7.48 एकड़ एवं ग्राम राजोरा जाट स्थित खसरा नम्बर 14 रकबा 8.24 एकड़, व खसरा नम्बर 15/2 रकबा 4.20 एकड़ कुल रकबा 12.44 एकड़, जिसका वर्तमान में खसरा नम्बर 16 रकबा 3.326 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 17 रकबा 1.696 हेक्टेयर उसकी पत्नी सुन्दरबाई को प्राप्त हुई । इस प्रकार स्व. सुन्दर बाई को प्राप्त भूमि पर उसका एकमेव स्वत्व एवं अधिकार था, इसलिए स्व. सुन्दरबाई को अपनी इच्छानुसार प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग, उपभोग व वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था ।

(2) मुल्लू एवं सुन्दरबाई की कोई संतान न होने के कारण उनके द्वारा विद्याबाई के पुत्र आवेदक को दो वर्ष की उम्र में कुर्मी क्षत्रिय समाज की रीति-रिवाज अनुसार संकल्प लेकर गोद (दत्तक पुत्र) ले लिया गया था । चूंकि विद्याबाई की मृत्यु आवेदक को जन्म देने के उपरांत ही हो गई थी तथा आवेदक का सम्पूर्ण लालन-पालन विवाह आदि मुल्लू एवं सुंदरबाई द्वारा ही किया गया । इस प्रकार आवेदक बचपन से ही मुल्लू एवं सुंदरबाई के साथ रहे तथा व्यस्क होने के उपरांत उनकी सेवा संभाल एवं कृषि भूमि तथा अन्य जायदाद की देखभाल करते चले आ रहे हैं एवं

राशनकार्ड में भी आवेदक का नाम मुल्लू एवं सुन्दरबाई के साथ परिवार के सदस्य के रूप में दर्ज रहा है ।

(3) अपर आयुक्त ने विधि की प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन न कर विवादित आदेश पारित किया, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अपर आयुक्त को यह देखना था कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकरण में इस्तहार का प्रकाशन किया गया था और तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक एवं वसीयत के साक्षियों के कथन अंकित किये जाकर आदेश पारित किया था । अनावेदक ने अपील ज्ञाप में असत्य कथन किये है कि तहसील न्यायालय ने इस्तहार के प्रकाशन की कार्यवाही मात्र एक दिन में की गई है ।

(4) अनावेदक का यह अभिवचन भी असत्य है कि मुल्लू एवं लख्मीचंद के मध्य भूमि का बटवारा नहीं हुआ है तथा वसीयतनामा को उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63(ग) के अनुसार सिद्ध नहीं किया गया, जबकि तहसील न्यायालय द्वारा वसीयतनामा के साक्षियों के कथन अंकित किये जाकर, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63(ग) एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अनुसार वसीयतनामा को सिद्ध किया है । चूंकि वसीयतनामा पंजीकृत है, इसलिए वसीयतनामा फर्जी एवं कूटरचित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(5) अपर आयुक्त ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 16-5-2008 को जारी उद्घोषणा में क्रमांक अंकित नहीं है, न ही उद्घोषणा में दिनांक अंकित है कि किस दिनांक तक आपत्तियां प्रस्तुत की जानी है । इस संबंध में स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि इस्तहार के प्रकाशन में यदि क्रमांक अंकित नहीं है तो इस आधार पर यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि उद्घोषणा विधिवत तरीके से नहीं की गई है ।

(6) जहां तक मूल वसीयतनामा प्रस्तुत न किये जाने का प्रश्न है । इस संबंध में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि तहसील न्यायालय द्वारा मूल वसीयतनामा का मिलान करने के पश्चात ही आदेश पारित किया था तथा द्वितीय पेशी पर साक्ष्य लिये जाने बावत कथन है कि यदि इस्तहार उपरांत आपत्ति प्राप्त होने पर आपत्तिकर्ता को स्वमेव ही साक्षियों का प्रतिपरीक्षण किये जाने का अवसर प्रदान किया जाता, किन्तु अनावेदक को प्रकरण की जानकारी होने के उपरांत भी मूल प्रकरण में आपत्ति नहीं ली गई तथा इसके विपरीत अनावेदक द्वारा एक पृथक से आवेदन पत्र उक्त भूमियों पर सुन्दरबाई के स्थान पर अपना नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 2-9-2008 को निरस्त किया है, जिसे अनावेदक द्वारा

कोई चुनौती नहीं दी गई है । उक्त तथ्य आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर उनके द्वारा कोई विचार नहीं कर, अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आधारों को ही आलोच्य आदेश में उल्लेखित कर विवादित आदेश पारित किया गया है ।

(7) अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील ज्ञाप में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि सुन्दरबाई की उक्त भूमियों के संबंध में उसके विधिक अधिकार क्या हैं । अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपूर्ण वंशवृक्ष पेश किया गया है, उक्त तथ्य पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं कर विवादित आदेश पारित किया गया है, जो कि विधि एवं तथ्यों के विपरीत होकर गैर संवैधानिक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उभय पक्ष द्वारा दर्शाय गये वंश वृक्ष में मुल्लू एवं सुन्दरबाई को लाऔलाद फौत होना दर्शाया गया है । मुल्लू एवं सुन्दरबाई के लाऔलाद फौत होने संबंधी कथन से उभय पक्ष सहमत हैं । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पटवारी से सुन्दरबाई के वारिसान के संबंध में कोई प्रतिवेदन/रिपोर्ट प्राप्त नहीं किया जाना को आधार मानकर विवादित आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(8) अपर आयुक्त द्वारा संहिता के प्रावधानों को समझे बिना अनावेदक को लाभ पहुंचाने की मंशा से आदेश पारित किया गया है । यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम दिसम्बर 2011 के अनुसार किसी भी प्रकरण को किसी भी अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय को फौती नामांतरण एवं वसीयत के दोनों प्रकरणों को संलग्न कर हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिसंगत आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये, जो कि विधि प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(9) तहसील न्यायालय द्वारा पूर्णतः विधि प्रकियाओं का पालन किया गया था । प्रकरण में प्रस्तुत वसीयतनामा पंजीकृत होनेसे उसकी विश्वसनीयता को संदिग्ध नहीं माना जा सकता । सुन्दरबाई द्वारा अपने पूर्ण होंश हवास में स्वस्थ चित्त मस्तिष्क से आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया था । तहसील न्यायालय द्वारा इस्तहार जारी कर आपत्ति आमंत्रित की जाकर विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसे विधिसंगत पाते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थिर रखा गया है, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का परिशीलन एवं अध्ययन किये बगैर आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) आवेदक द्वारा लिखित तर्क के पैरा क्रमांक 1 से 14 में जो आधार लिये हैं, वह निराधार होने के कारण अमान्य किये जाने योग्य हैं ।

(2) आवेदक ने फर्जी वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन दिनांक 3-6-2008 को तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जबकि तहसील न्यायालय ने आवेदन प्रस्तुत होने के पूर्व ही 3 पेशियों (दिनांक 1-5-08, 16-5-08 एवं 31-5-08) में प्रकरण एक माह के अन्दर ही निराकृत कर दिया है, जो कि अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(3) आवेदक ने तहसील न्यायालय में पक्षकार असंयोजन का दोष होने के कारण तहसील न्यायालय का आदेश गलत, अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(4) अनावेदक ने गलत सजरा पेश कर अनावेदक की बुआ सुतियाबाई की मृत्यु होने के बाद फूफा ने दूसरी शादी विद्याबाई से की, जिसकी संतान आवेदक सियावर दास है, जो गलत सजरा पेश कर आधार लिया है, अनुचित होने से अमान्य किये जाने योग्य है ।

(5) विवादित आराजी रूगनाथ की है और अनावेदक उनका नाती है । सुन्दरबाई रूगनाथ के पुत्र मुलू की पत्नी है, जो कि पैतृक आराजी है, इस आराजी की वसीयत नहीं हो सकती । अर्जित प्रोपर्टी की वसीयत होती है, इसलिए जो वसीयत का आधार लिया है, गलत होने से अमान्य किये जाने योग्य है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 16-5-2008 को जो उद्घोषणा जारी की गई है, उसमें किस दिनांक तक आपत्ति आमंत्रित की गई है, इसका कोई उल्लेख नहीं है । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 1-5-2008 को प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 31-5-2008 को वसीयत के आधार पर आवेदक का नामांतरण स्वीकृत किया है । तहसील न्यायालय द्वारा मृतक भूमिस्वामी के वारिसानों के संबंध में पटवारी से कोई प्रतिवेदन/रिपोर्ट भी नहीं ली गई है, जिससे ऐसा परिलक्षित होता है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण के निराकरण में जल्दबाजी की गई है, जो कि विधि प्रक्रिया के विपरीत कार्यवाही होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देने में भूल की गई है ।

उपरोक्त स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर, तहसीलदार को फौती नामांतरण एवं वसीयत के दोनों प्रकरणों को संलग्न कर हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिसंगत आदेश पारित करने के निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । चूंकि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है, जहां उभय पक्ष को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, अतः आवेदक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधार अमान्य किये जाते हैं ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 23-5-2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर